उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र

तथा

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

द्वारा आयोजित

राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान

01 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025

मध्यस्थता के लिए कौन से मामले संदर्भित किये जा सकते हैं?

- वैवाहिक विवाद मामले
- दुर्घटना दांवे के मामले
- घरेलू हिंसा के मामले
- चेक बाउंस के मामले
- वाणिज्यिक विवाद मामले
- सेवा विवाद मामले
- शमनीय आपराधिक मामले
- उपभोक्ता विवाद मामले
- ऋण वसूली के मामले
- बंटवारा संबंधित मामले
- बेदखली से संबंधित मामले
- भूमि अधिग्रहण के मामले
- अन्य उपयुक्त सिविल मामले



मध्यस्थता की महत्वपूर्ण बातें एवं प्रक्रिया



अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें अपने निकटतम जिला विधिकसेवा प्राधिकरण/ तहसील विधिक सेवा समिति

अथवा

कॉल करें टोल फ्री नंबर

18004190234, 15100

- यह अभियान 01 जुलाई 2025 से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर 2025 तक प्रगामी रहेगा।
- उपरोक्त प्रकृति के मामलों को मध्यस्थता हेतु भेजने के लिए अपने न्यायालय से अनुरोध किया जा सकता है, जहाँ आपका मुकदमा लंबित है।
- मध्यस्थता कार्यवाही तहसील, जनपद स्तर पर लंबित वादों के लिए आपके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सप्ताह के सात दिन आयोजित की जायेगी।
- मध्यस्थता का कार्य प्रशिक्षित एवं दक्ष मध्यस्थों द्वारा सम्पादित कराया जाता है।
- मध्यस्थता प्रक्रिया पक्षकारों की सुविधा के अनुरूप ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों प्रकार से संचालित की जा सकती है।
- मध्यस्थता सफल होने पर दोनों पक्षकारों द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार न्यायालय में लंबित प्रकरण का निपटारा कराया जायेगा।
- मध्यस्थता असफल होने पर आपके मुकदमे पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अपर जिला जज/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज

सर्व सहायतार्थ सदा तत्पर

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / जनपद न्यायाधीश कासगंज

मूना प्रिन्टर्स, नावल्टी रोड, कासगंज मो. 9927211187

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज

राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान दिनांक 01 जुलाई 2025 से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर 2025 तक प्रगामी रहेगा। 31 जुलाई 2025 तक पक्षकार अपने मामले को सम्बन्धित न्यायालय में मध्यस्थता/सुलह समझौता के लिए चिन्हित करा सकते हैं।

उक्त मध्यस्थता/सुलह समझौता अभियान के अन्तर्गत न्यायालयों में लम्बित मामलों में पक्षकार निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को मध्यस्थता हेतु सन्दर्भित करने हेतु सम्बन्धित न्यायालय से प्रार्थना कर सकते हैं, जिनमें समाधान की सम्भावना प्रबल हो-

- वैवाहिक विवाद के मामले
- दुर्घटना दावे के मामले
- घरेलू हिंसा के मामले
- चैक बाउंस के मामले
- वाणिज्यिक विवाद के मामले
- सेवा विवाद के मामले
- शमनीय आपराधिक के मामले
- उपभोक्ता विवाद के मामले
- ऋण वसूली के मामले
- सम्पत्ति के बंटवारे से सम्बन्धित मामले
- बेदखली से सम्बन्धित मामले
- भूमि अधिग्रहण के मामले
- अन्य उपयुक्त दीवानी मामले

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कासगंज।

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
जनपद न्यायाधीश, कासगंज।